



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032026-270644  
CG-DL-E-03032026-270644

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1057]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 2026/फाल्गुन 11, 1947

No. 1057]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 2026/PHALGUNA 11, 1947

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2026

**का.आ. 1109(अ).**—जबकि मेसर्स गदग पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय चौथी मंजिल, द इंटरनेशनल, 16 महर्षि कर्वे रोड, मरीन लाइंस, प्रथम क्रॉस लेन, न्यू मरीन लाइंस, चर्चगेट, मुंबई – 400020, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना “कर्नाटक के कोप्पल, रायचूर और बागलकोट जिलों में मेसर्स गदग पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 300 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारोषण प्रणाली” के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन विद्युत के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं.25-17/60/2025/पीजी दिनांकित 12.06.2025 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना “कर्नाटक के कोप्पल, रायचूर और बागलकोट जिलों में मेसर्स गदग पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 300 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारोषण प्रणाली” के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स गदग पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग के बारे में स्थानीय समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका (हिंदी) दिनांक 24.06.2025, डेक्कन हेराल्ड (अंग्रेजी) दिनांक 24.06.2025, प्रजावाणी (कन्नड़) 24.06.2025 तथा भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 26.07.2025 ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स गदग पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 22.11.2025 दिनांकित एक हलफनामा

प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत “कर्नाटक के कोप्पल, रायचूर और बागलकोट जिलों में मेसर्स गदग पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 300 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारेषण प्रणाली” के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

(i) मेसर्स गदग पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जनरेशन पूलिंग स्टेशन (जनरेशन स्विचयार्ड, गोनल एसके गांव, इलकल तालुक, बागलकोट जिला, कर्नाटक में स्थित) - कोप्पल-II पीएस (आईएसटीएस एस/एस) 220 केवी एस/सी लाइन डीसी टावरों पर [लाइन की लंबाई लगभग 57 किमी है जिसमें से कोप्पल-II पीएस छोर से लगभग 2-3 किमी (लगभग) मल्टी-सर्किट टावरों पर लागू की जाएगी]

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कर्नाटक के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

गाँव के नाम	तहसील	जिला
गोनल, कंसवी, कोमलापुर, कंडगल, सोमलापुर, मरटगेरी, बेहिहाल, रामटनाल, मुदेनूर	इलकल	बागलकोट
बेन्नीहट्टी, मेगूर, शिरुगुंपी, कुडलूर, बेलवटगी, रवणक्की, तेगिहाल, बसापुर, होसूर, बीजकल, टकलकी, कुशतगी, गुमगिरी, गंगनाल, कंदकूर, कुर्बनहल, नरेगेन्ची	कुशतगी	कोप्पल
बुदकुंटी, हिरे अरलिहल्ली, जारकुंटी, कुटकमारी, बिरलदिन्नी, होसूर, तारलकट्टी, यापलदिन्नी, नरसापुर, मुरडी, गुत्तूर, लक्ष्मणगुड्डा, वांगेरी	येलबुर्गा	कोप्पल

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स गदग पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
- यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अधीन है।
- मेसर्स गदग पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा. सं. 25-16/21/2026-पावरग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

**MINISTRY OF POWER****ORDER**

New Delhi, the 27th February, 2026

**S.O. 1109(E).**—Whereas M/S Gadag Power India Private Limited, the applicant with its registered office at 4th Floor, The International, 16 Maharshi Karve Road, Marine Lines, 1<sup>st</sup> Cross Lane, New Marine Lines, Churchgate, Mumbai – 400020, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the Transmission Scheme “Transmission system for providing connectivity to M/S Gadag Power India Pvt. Ltd. for its 300 MW Wind Power project in Koppal, Raichur and Bagalkote district, Karnataka”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its Letter No. 25-17/60/2025-PG dated 12.06.2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead transmission line covered under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/S Gadag Power India Pvt. Ltd. for its 300 MW Wind Power project in Koppal, Raichur and Bagalkote district, Karnataka”.

M/s Gadag Power India Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Rajasthan Patrika (Hindi) dated 24.06.2025, Deccan Herald (English) dated 24.06.2025, Prajavani (Kannada) dated 24.06.2025 and in Weekly Gazette of India dated 26.07.2025 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 2 months from the date of publication. Subsequently, M/s Gadag Power India Private Limited has submitted an affidavit dated 22.11.2025 declaring that no observation/representation was received within 2 months from the date of public notice.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/S Gadag Power India Pvt. Ltd. for its 300 MW Wind Power project in Koppal, Raichur and Bagalkote district, Karnataka”. The following overhead line is covered under this scheme

(i) Generation Pooling Station of M/s Gadag Power India Pvt. Ltd. (Generation Switchyard located at Gonal SK Village, Ilkal Taluk, Bagalkote District, Karnataka) – Koppal-II PS (ISTS S/s) 220 kV S/c line on D/c towers [line length is about 57 km out of which about 2-3 km (approx.) from Koppal-II PS end will be implemented on multi-circuit towers].

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Karnataka State:

Name of Village	TEHSIL	DISTRICT
Gonal, Kansavi, Komlapur, Kandgal, Somlapur, Martageri, Behihal, Ramatnal, Mudenur	Ilkal	Bagalkot
Bennihatti, Megur, Sirugumpi, Kudlur, Belwatgi, Ravanakki, Tegihal, Basapur, Hosur, Bijkal, Taklaki, Kushtagi, Gumgeri, Gangnal, Kandkur, Kurbanhal, Narebenchi	Kushtagi	Koppal
Budkunti, Hire Arlihalli, Jarkunti, Kutakmari, Biralinnai, Hosur, Taralkatti, Yapaldinni, Narsapur, Murdi, Guttur, Lakshmangudda, Wangeri	Yelburga	Koppal

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Gadag Power India Private Limited for above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- (i) The approval is granted for 25 years.
- (ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- (iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.
- (iv) The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

- 
- (v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- (vi) M/s Gadag Power India Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc, at the time of Electrical Inspection.

[F. No. 25-16/21/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)